

प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 06.11.2026

#OPERATION CONVICTION

महिला एवं बालिका अपराध पर इटावा पुलिस का कड़ा प्रहार।

बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री यमुनाप्रसाद द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत इटावा पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20,000 - 20,000 /- रु0 से दण्डित किया गया।

1. थाना-सिविल लाइन

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या करने वाले अभियुक्तों को मा0न्याया0 इटावा द्वारा अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0एडीजे/एफटीसी-1 कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त गण द्वारा वादी की पुत्री को अतरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करना व जान से मार देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 451/2018 अंतर्गत धारा 498ए/304बी /34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में पंजीकृत किया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 शिवम नायक व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी **जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनाँक 06.11.2026 को अंतर्गत धारा 498ए/304बी /34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में मा0 न्याया0एडीजे/एफटीसी-1 कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. मुनीश बाबू पुत्र जसवन्त सिह निवासी चौगाना थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
2. भूरी देवी उर्फ ओमवती पत्नी जसवन्त सिह निवासी चौगाना थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।